

परसपेक्टवि: इंडो-पैसफिकि केंद्र में

प्रलिमिंस के लयि:

[इंडो-पैसफिकि, एकट ईसट पॉलिसी, भारतीय नौसेना](#)

मेन्स के लयि:

[इंडो-पैसफिकि में भारत की भूमिका](#)

प्रसंग क्या है?

[भारतीय नौसेना](#) के तीन दविसीय वार्षिकि शीर्ष-स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक संवाद, "[हदि प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023](#)" (Indo-Pacific Regional Dialogue- IPRD 2023) में [भारत के उपराष्ट्रपति](#) ने कहा कि समुद्र अपनी विशाल आर्थिक क्षमता के कारण वैश्विक प्रतस्पर्द्धा के लयि नई सीमा के रूप में उभर रहा है।

- उन्होंने समुद्र और उसकी संपत्तियों पर दावों की संभावना को नयित्तरति करने के लयि एक नयिामक व्यवस्था एवं उसके प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया।

हदि-प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या भूमिका रही है?

- मानवीय सहायता:
 - आपदा राहत कार्य:
 - भारत सक्रयि रूप से आपदा राहत कार्यों में लगा हुआ है तथा [भूकंप](#), [चक्रवात](#) और [सुनामी](#) जैसी घटनाओं के बाद नपिटने के लयि करमियों एवं संसाधनों को तैनात कर रहा है।
 - चकितिसा कूटनीति:
 - इंडो-पैसफिकि ने भारत को विशेष रूप से [कोवडि-19 महामारी](#) के दौरान चकितिसा सहायता के एक महत्त्वपूर्ण प्रदाता के रूप में उभरते हुए देखा है।
- सुरक्षा प्रदाता:
 - समुद्री सुरक्षा:
 - भारत ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और [समुद्री डकैती](#) से नपिटने के लयि संयुक्त अभ्यास तथा गश्त करते हुए अपनी समुद्री उपस्थिति बिद्धा दी है।
 - [हदि महासागर नौसेना संगोष्ठी \(Indian Ocean Naval Symposium- IONS\)](#) और [चतुरभुज सुरक्षा संवाद \(Quadrilateral Security Dialogue- Quad\)](#) जैसी पहल सुरक्षति समुद्री वातावरण सुनश्चिति करने के लयि भारत की प्रतबिद्धता को दर्शाती हैं।
 - रणनीतिक साझेदारी:
 - [द्विपक्षीय](#) और [बहुपक्षीय साझेदारियों](#) हदि-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरक्षा रणनीति का अभिन्न अंग बन गई हैं।
 - [अमेरिका](#), [जापान](#), [ऑस्ट्रेलिया](#) जैसे देशों और [आसियान देशों](#) के साथ सहयोग एक सामूहिक सुरक्षा वास्तुकला बनाने के भारत के प्रयासों को प्रदर्शाति करता है।
 - समुद्री कूटनीति और क्षमता नरिमाण:
 - [सागर सदिधांत](#) के तहत भारत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लयि समुद्री कूटनीति का उपयोग करते हुए [क्षमता नरिमाण](#) में लगा हुआ है।
 - नयिम-आधारति आदेश को कायम रखना
 - क्षेत्र में नयिम-आधारति व्यवस्था को बनाए रखने में भारत की सक्रयि भूमिका स्थरिता बनाए रखने और समुद्री हतियों की सुरक्षा के प्रत उसकी प्रतबिद्धता को दर्शाती है।

कषेत्रीय साझेदारी एवं गठबंधन भारत-प्रशांत कषेत्र में समुद्री कनेक्टिविटी और सुरक्षा को कैसे बढ़ावा देते हैं?

- **इंडो-पैसफिकि प्रतमान का विकास:**
 - "इंडो-पैसफिकि" शब्द भू-राजनीतिक वमिर्श में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतनिधित्व करता है, जो भारतीय और प्रशांत महासागरों के अंतरसंबंध को स्वीकार करता है।
- **हदि महासागर रमि एसोसिएशन (IORA):**
 - वर्ष 1997 में स्थापति IORA में 22 सदस्य देश शामिल हैं, जो आर्थिक और कषेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। **बलु इकोनॉमी** और **IORA एकशन प्लान** जैसे पहलों के माध्यम से सदस्य देशों का लक्ष्य **सतत विकास** एवं समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **हदि महासागर नौसेना संगोषठी (IONS):**
 - वर्ष 2008 में शुरु कथि गया **IONS** नयिम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने, नौसैनिक सहयोग के लयि एक मंच के रूप में कार्य करता है। **संगोषठी सूचना साझा करने, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** की सुवधि प्रदान करती है, जसिसे सदस्य नौसेनाओं के बीच वशिवास तथा समझ को बढ़ावा मलित है।
- **भारत-प्रशांत महासागर पहल:**
 - वर्ष 2019 में बैंकॉक में **पूर्वी एशिया शखिर** सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषति **इंडो-पैसफिकि महासागर पहल** एक सुरक्षति समुद्री डोमेन बनाने पर केंद्रति है। यह समावेशिता, स्थरिता तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रत सम्मान बनाए रखने पर जोर देता है।
- **चुनौतयिँ और अवसर:**
 - हालाँकि **कषेत्रीय साझेदारयिँ और गठबंधन** समुद्री कनेक्टिविटी एवं सुरक्षा को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, फरि भी चुनौतयिँ लगातार बनी रहती हैं। **अलग-अलग राष्ट्रीय हति, ऐतहासिक वविाद और भू-राजनीतिक तनाव सहयोगात्मक प्रयासों की प्रभावशीलता** में बाधा बन सकते हैं।
 - हालाँकि ये चुनौतयिँ राजनयिक संवाद और **संघर्ष समाधान के अवसर** भी प्रस्तुत करती हैं, जो नरितर जुड़ाव के महत्त्व को मज़बूत करती हैं।

समुद्री वविादों की संभावना को कैसे कम कथि जा सकता है?

समुद्र का वशिाल वसितार लंबे समय से वशिभ भर के देशों के लयि आकर्षण और आर्थिक अवसर का सरोत रहा है। इसका मुख्य कारण समुद्र में मौजूद अपार आर्थिक कषमता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लयि ऐसे उपाय तलाशना अनविर्य हो जाता है, जसिमें समुद्र और उनके पास मौजूद मूल्यवान संपत्तयिँ पर दावों का मुकाबला करने की संभावना हो।

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**
 - मौजूदा **समुद्री संधयिँ और समझौतों** को मज़बूत करना।
 - टकिारु समुद्री संसाधन प्रबंधन पर **सहयोगात्मक अनुसंधान** को बढ़ावा देना।
- **कानूनी ढाँचे:**
 - समुद्री वविादों के लयि हेतु **व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे** का विकास करना।
 - समुद्र संबंधी वविादों को सुलझाने में **अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों** और न्यायाधिकरणों की भूमिका को बढ़ाना।
- **तकनीकी नवाचार:**
 - उन्नत नगिरानी और नरिीक्षण प्रौद्योगिकयिँ में नविश करना।
 - **पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लयि पर्यावरण अनुकूल** समुद्री प्रौद्योगिकयिँ के विकास को बढ़ावा देना।
- **कूटनीति और संघर्ष समाधान:**
 - **वविादति दावों को संबोधति** करने के लयि राजनयिक संवाद को प्रोत्साहित करना।
 - तनाव बढ़ने से बचने के लयि **शांतपूरण संघर्ष समाधान हेतु तंत्र स्थापति** करना।

वैश्विक समुदाय की सेवा में वर्तमान कानून और कन्वेंशन कतिने प्रभावी रहे हैं?

- **समुद्री कानूनों और सम्मेलनों का ऐतहासिक विकास:**
 - **अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का विकास:**
 - वर्ष 1982 में **समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)** की स्थापना ने समुद्री कानून के विकास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, जसिने दुनिया के महासागरों के उपयोग में देशों के अधिकारों और ज़मिमेदारयिँ के लयि एक व्यापक ढाँचा प्रदान कथि।
 - **प्रमुख सम्मेलन और संधयिँ:**
 - रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर **अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization-IMO)** सम्मेलन जैसे वभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौते, समुद्री गतिविधयिँ को नयितरति करने वाले वैश्विक कानूनी ढाँचे में योगदान करते हैं।
- **उपलब्धयिँ और सकारात्मक प्रभाव:**
 - **सुरक्षा और नेवगिशन:**
 - **समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लयि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (SOLAS)** और नाविकों के लयि प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं नगिरानी के मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (STCW) ने सुरक्षा मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जसिसे समुद्री

दुर्घटनाओं तथा हाताहतों की संख्या में कमी आई है।

○ पर्यावरण संरक्षण:

- **जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (MARPOL Convention)** जैसे सम्मेलनों ने शपिगि गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और तेल रिसाव तथा वायु उत्सर्जन जैसे मुद्दों को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

○ विवाद समाधान:

- **UNCLOS** ने समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये एक तंत्र प्रदान किया है, जो संघर्षों की रोकथाम और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

■ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता:

○ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका:

- **IMO** और **समुद्र के कानून के लिये अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS)** जैसे संगठन सहयोग को सुवर्धित करने के लिये तथा मौजूदा कानूनी ढाँचे में मौजूद कमियों को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

○ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते:

- समुद्री शासन के लिये अधिक **सूक्ष्म और अनुकूलनीय दृष्टिकोण को बढ़ावा** देने, मौजूदा सम्मेलनों के पूरक हेतु राष्ट्र तेज़ी से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों में संलग्न हो रहे हैं।

○ समीक्षा की आवश्यकता:

- समुद्र के मौजूदा कानूनों के पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा की आवश्यकता है। तात्कालिकता को कक्षेत्रीय विवादों द्वारा उजागर किया गया है, उदाहरण के लिये **पैरासेल और स्प्रेटली द्वीप समूह, स्कारबोरो शोल एवं सेंट थॉमस**।

■ चुनौतियाँ और सीमाएँ:

○ परवर्तन मुद्दे:

- व्यापक कानूनी ढाँचे के अस्तित्व के बावजूद, परवर्तन एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, **कुछ देशों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों को लागू करने** और बनाए रखने की क्षमता या इच्छा की कमी है।

○ उभरते खतरे:

- **साइबर खतरों** एवं **समुद्री डकैती** जैसी नई चुनौतियों का आगमन उभरते जोखिमों से निपटने के लिये मौजूदा समुद्री कानूनों के नरिंतर अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।

○ शासन में कमियाँ:

- शासन में खामियाँ मौजूद हैं, **खासकर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों में**, जहाँ मौजूदा कानूनी उपकरणों की प्रभावशीलता सीमित है।

■ भारत के समुद्री हितों पर जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव क्या है?

■ भारत की कमज़ोरियाँ और चुनौतियाँ:

- वर्तमान **ग्लोबल वार्मिंग** और **जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के कारण समुद्र के जलस्तर** तथा प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है।

- पूर्वानुमान संकेत देते हैं कि सदी के अंत तक बॉम्बे सात द्वीपों में वापस आ सकता है, तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के महत्त्वपूर्ण हिस्से पहले से ही जलमग्न हैं।

- समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण **अगतती द्वीप** जैसे तटीय क्षेत्रों में कटाव हो रहा है।

- क्षेत्र में **जैवविविधिता** पर प्रभाव **सीधे तौर पर समुद्री जीवन को** प्रभावित करता है, जिससे भारत में दस लाख से अधिक लोग प्रभावित होते हैं जो अपनी आजीविका के लिये समुद्र पर निर्भर हैं।

- **बढ़ते तापमान** के कारण **मछलियाँ ठंडे जल की ओर पलायन** कर रही हैं, जिससे मछली पकड़ने पर निर्भर लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

- **महासागरीय धाराओं** में प्रत्याशति परिवर्तन से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी तट पर अधिक चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव होगा, जो **खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न** करेगा।

■ आर्थिक प्रभाव:

- भारत के समुद्री हितों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तात्कालिक भौतिक क्षति से कहीं अधिक है।

- बाधित बंदरगाहों, कषतिग्रस्त जहाजों और समझौता किये गए समुद्री बुनियादी ढाँचे से पर्याप्त आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे व्यापार, शपिगि एवं समग्र समुद्री अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता कतिनी मज़बूत है?

■ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- भारत का समुद्री इतिहास समृद्ध है, समुद्री यात्रा की वरिसत सदियों पुरानी है। हालाँकि आधुनिक चुनौतियों के लिये एक पृथक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें समुद्री डकैती, आतंकवाद और क्षेत्रीय विवादों जैसे समकालीन खतरों से निपटने हेतु अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है।

○ नौसेना संपत्तियाँ और क्षमताएँ:

- नौसेना के सतही बेड़े:

- भारत की नौसैनिक ताकत उसके सतही बेड़े में नहित है, जिसमें वधिवंसक, फ्रिगेट और कार्वेट का मशिरण शामिल है।

- पनडुबबी बेड़े:

- **सर्कार्पीन श्रेणी** की पनडुबबियों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की **पनडुबबी शाखा** में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई

है।

• **वमिन वाहक क्षमता:**

- **INS वकिरमादतिय** की **कमीशनगि** और स्वदेशी वमिन वाहक, **INS वकिरांत** का चल रहा विकास, हदि महासागर क्षेत्र में समुद्री शक्ति पेश करने के लिये भारत की प्रतबिद्धता को रेखांकित करता है।

▪ **तकनीकी तत्परता:**

◦ **नगिरानी और रकिॉनसिंस:**

- भारत ने उपग्रहों **अनमैन्ड एरथिल वहीकल (UAV)** और समुद्री गश्ती वमिनों की तैनाती के माध्यम से समुद्री नगिरानी में प्रगति की है।

◦ **संचार और नेटवरकगि:**

- समुद्री सुरक्षा के लिये प्रभावी संचार महत्त्वपूर्ण है और भारत ने **सुरक्षित संचार प्रणालियों एवं नेटवरक-केंद्रित युद्ध क्षमताओं में नविश** किया है।

◦ **साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध:**

- जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है, वैसे-वैसे साइबरस्पेस में खतरे भी बढ़ते हैं। भारत ने समुद्री हतियों की सुरक्षा में **साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध** के महत्त्व को पहचाना है। नौसेना नेटवरक को साइबर खतरों तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचाने के लिये सरकार द्वारा मज़बूत उपाय किये गए हैं।

आगे की राह

▪ **अनुकूलन और शमन उपाय:**

- भारत को अपने **समुद्री हतियों की सुरक्षा के लिये मज़बूत अनुकूलन और शमन रणनीतियों** की आवश्यकता है। **लचीले बुनियादी ढाँचे, आपदा प्रबंधन** के लिये नवीन प्रौद्योगिकियों और सतत् तटीय विकास में नविश अनविर्य है।

▪ **राजनयिक और क्षेत्रीय सहयोग:**

- जलवायु परिवर्तन के **समुद्री प्रभावों को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों** और क्षेत्रीय गठबंधनों के साथ सहयोग महत्त्वपूर्ण है। **अनुसंधान, प्रौद्योगिकी साझाकरण और नीति ढाँचे** में सहयोग जोखिमों को कम करने एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कसिके द्वारा भारत एवं पूरवी एशिया के बीच नौ संचालन समय (नेवगिशन टाइम) और दूरी अत्यधिक कम कथि जा सकते हैं? (2011)

1. मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरूमध्य को गहरा करना।
2. सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच करा भू संर्धा जलडमरूमध्य के पार नई नहर खोलना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

??????????:

प्रश्न 1. 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिये देशांतरी अंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डगिरी पूर्व से 78 डगिरी पूर्व तक खसिका दिया गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर इसका क्या परणाम है? (2014)

प्रश्न 2. परयोजना 'मौसम' भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंध की सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय वदिश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परयोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिये। (2015)

